

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०-

डब्तृ० / एन०पी०-91 / 2008-10

लाइसन्स टू पोस्ट ऐट कन्रोशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर ग्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट भाग-1, खण्ड (क) (उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 5 मार्च. 2010

फाल्गुन 14, 1931 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार विधायी अनुभाग-1

• संख्या 294 / 79-दि-1—10-1(क)-5-2010 लखनऊ, 5 मार्च. 2010

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (सशोधन) विधेयक, 2010 पर दिनांक 3 मार्च, 2010 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2010 के रूप में सर्वसाधारण को सूचनार्थ इस आधसुचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2010

(उत्तर प्रदेश आधानयम संख्या 11 सन् 2010)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकसटवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-(1) यह आधानयम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (सशोधन) अधिनियम, सक्षिप्त नाम और 2010 कहा जाएगा।

(2) यह 1 अक्टबर. 2009 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

उत्तर प्रदेश आधानयम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा यथासशोधित और पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 2-उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय आधिनियम, 1973, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 4 में, उपधारा (1-क) में, खण्ड (घ) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात :-

"(ङ) एक विश्वविद्यालय, जिसे उत्तर प्रदेश उर्दु. अरवी फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ कहा जाएगा।"

धारा 5 का सशोधन

सन् 1973 का धारा 4 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 5 में, उपधारा (6) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात :-

"(7) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उर्दू, अरबी और फारसी में शिक्षा और अनुसंधान तथा उनके ज्ञान की अभिवृद्धि एवं प्रसार के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश उर्दू, अरबी फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में किया जा सकेगा।"

नयी धारा 7-ख का बढ़ाया जाना 4-मूल अधिनियम की धारा 7-क के पश्चात निम्नलिखित धारा बढ़ा दो जायेगो. अर्थात :-

"7-ख-राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से प्राधिकृत किये जाने कुछ विश्वविद्यालया पर उत्तर प्रदेश उदं. अरबी फारसी विश्वविद्यालय, उच्च की आंतरिक्त शिक्षा प्रदान कर रही अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं की शक्तियाँ और सहायता, सम्बद्धता और सुविधा देगा।" कर्तव्य

अनुसूची का सशोधन

5-मूल अधिनियम की अनुसूर्चा में, क्रमांक 10 के पश्चात निम्नालेखित क्रमांक स्तम्भवार बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात:-

1	2	3
11 c	उत्तर प्रदेश उर्दू, अरबी फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ	उर्दू, अरबी और फारसी में शिक्षा और अनुसंधान के सम्बन्ध में सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश

कठिनाइयाँ दूर करना

6-(1) राज्य सरकार उर्दू, अरबी फारसी विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि मूल अधिनियम के उपबन्ध, ऐसी कालाविध में जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसें अनुकूलनां के अधीन रहते हुए, चाहे वे परिष्कार, परिवर्धन या लोप के रूप में, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे. प्रभावा होंगे:

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

- (2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।
- (3) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपित्त नहीं की जाएगी कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट किटनाई विद्यमान नहीं थी अथवा उसकी दूर करना अपाक्षत नहीं था।

निरसन और अपवाद

7-(1) उत्तर प्रदेश अरबो फारसो विश्वविद्यालय अधिनियम, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2009

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाहा इस अधिनियम द्वारा यथासंशाधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जाएगा मानी इस अधिनियम के उपबन्ध सभा सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश में समाज के एक वर्ग द्वारा उर्दू मातु भाषा के रूप में बोलो जाती है। उर्दू भाषा को इस प्रकार विकसित करने की आवश्यकता है कि समाज का कोई भी व्यक्ति उर्दू साहित्य में, जिसके साथ अरवी और फारसी भाषायं भी हैं. अपने अध्ययन की उच्चतर स्तर तक जारी रख सके। इस प्रयोजन के लिए उत्तर प्रदेश अरबी फारसी विश्वविद्यालय आधानयम. 2009 (उत्तर प्रदेश आधानयम संख्या 12 सन 2009) का अधिनियमन किया गया। उक्त आंधानयम का सम्यक् रूप से अध्ययन करने के उपरान्त यह पाया गया कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय आधानयम. 1973 के कांतपय उपबन्ध उसमें विद्यमान नहीं हैं। सन् 2009 के उक्त अधिनियम में विद्यमान किमयों को टीक करने के उद्देश्य से यह विनिश्चय किया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 को संशोधित करके उसके द्वारा प्रशासित विश्वविद्यालयों की सूची में उत्तर प्रदेश उर्दू, अरबी फारसी विश्वविद्यालय को सम्मिलित किया जाय और सन् 2009 के उक्त अधिनियम को निरिसत किया जाय।

तदनुसार उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 प्रःस्थापित किया जाता है।

आजा से. प्रताप वीरेन्द्र कुशवाहा, सचिव।

No. 294(2)/LXXIX-V-1-10-1(Ka)-5-2010 Dated Lucknow, March 5, 2010

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2010 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 11 of 2010) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 3, 2010.

THE UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITIES (AMENDMENT) ACT, 2010

(U.P. ACT NO. 11 OF 2010)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

further to amend the Uttar Pradesh State Universities Act. 1973.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-first Year of the Republic of India as follows:-

- 1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Act, 2010.
 - (2) It shall be deemed to have come into force on October 1, 2009.
- 2. In section 4 of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (I-A) after clause (d) the following clause shall be inserted, namely:

"(e) a University to be known as the Urdu. Uttar Pradesh Arabi Pharsi University at Lucknow."

Short title and commencement

Amendment of section 4 of the President's Act no 10 of 1973 as amended and reenacted by U.P. Act no. 29 of

2

उत्तर प्रं अधिनिः सन् 19 यथासः और पु अधिनि अधिनि सन् 1 4 का Amendment of section 5

- 3. In section 5 of the principal Act, after sub-section (6) the following sub-section shall be inserted, namely:-
 - "(7) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) the powers conferred on the Uttar Pradesh Urdu, Arabi Pharsi University at Lucknow in respect of education and research in Urdu, Arabic and Persian and advancement and dissemination of knowledge thereof shall be exercisable throughout Uttar Pradesh."

Insertion of new section 7-B

- 4. After section 7-A of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:-
 - "7-B. Upon being authorized by the State Government by notification the
 Additional Uttar Pradesh Urdu, Arabi Pharsi University shall help, effiliate
 power and and facilitate the minority educational institutions providing
 duties of certain Universities

Amendment of the Schedule

5. In the Schedule to the Principal Act after serial no. 10 the following sershall columnwise be inserted, namely:-

	1	2	3
	11		Whole of Uttar Pradesh in respect of education and research in Urdu, Arabic
	Lucknow.	and Persian.	

Removal of difficulties

6. (1) The State Government may, for the purpose of removing any difficulty in relation to the Urdu. Arabi Pharsi University, by order published in the Gazette, direct that the provisions of principal Act shall during such period, as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission as it may deem to be necessary or expedient:

Provided that no such order shall be made after two years from the date of commencement of this Act.

- (2) Every Order made under sub-section (1) shall be laid before both Houses of the State Legislature.
- (3) No order under sub-section (1) shall be called in question in any Court on the ground that no difficulty, as is referred to in sub-section (1) existed or was required to be removed.

Repeal and Saving

- 7. (1) The Uttar Pradesh Arabi Pharsi University Act, 2009 is U.P. Act no hereby repealed.
- (2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the Act referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the provisions of the Uttar Pradesh State Universities Act. 1973 as amended by this Act as if this Act were in force at all material times.

नर्या वढ़ा

37-

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Urdu language is spoken as mother tongue by a section of the society in Uttar Pradesh. The Urdu language is required to be developed in such a manner that any person of the society may continue his study to the higher stage of learning in Urdu literature including Arabi and Pharasi languages. The Uttar Pradesh Arabi Pharasi University Act. 2009 (U.P. Act no. 12 of 2009) was enacted for the purpose. After due study of the said Act it has been found that certain provisions of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 are not present therein. With a view to making good of the shortcomings appeared in the said Act of 2009, it has been decided to amend the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 to include the Uttar Pradesh Urdu, Arabi Pharasi University in the list of Universities administered thereby and to repeal the said Act of 2009.

The Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Bill, 2010 is introduced accordingly.

By order.
P.V. KUSHWAHA.
Sachiv.

पो0एस0यू0पी0-ए0 पो0 1179 राजपत्र-(हि0)-2010-(2503)-597 प्रतिया (कम्प्युटर/टो0/आफसेट)।

पां0एस0यू0पां0-ए० पीं0 240 सां0 विधायी-2010-(2504)-850 प्रातया (कम्प्युटर/टां0/आफसेट)।